रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 4] नई दिल्ली, जनवरी 20—जनवरी 26, 2013, शनिवार/पौष 30—माघ 6, 1934
No. 4] NEW DELHI, JANUARY 20—JANUARY 26, 2013, SATURDAY/PAUSA 30—MAGHA 6, 1934

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2013

सा.का.नि. 26.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संघ लोक सेवा आयोग (सुरक्षा सहायक) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2007 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग (सुरक्षा सहायक) समूह 'ख' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. संघ लोक सेवा आयोग (सुरक्षा सहायक) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2007 में, जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है, नियम 2 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"2. **पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।"

3. उक्त नियमों के नियम 3 में, "स्तम्भ (5) से (14)" शब्द, कोष्ठक और अंकों के स्थान पर, "स्तम्भ (5) से (13)" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

4. उक्त नियमों में, अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :—

"अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सुरक्षा सहायक	01 * (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2, (9300—34800 रु.) और ग्रेड वेतन 4200 रु.)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति/आमेलन सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए : प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन	**I. प्रतिनियुक्ति/आमेलन :** सुरक्षा-सह-आसूचना अभिकरणों जिनके अंतर्गत अथवा भारत सरकार के आसूचना ब्यूरो/अनुसंधान और विश्लेषण विंग, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस या केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल भी है, में कार्यरत केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी :— (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद या उनके समतुल्य धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन बैंड-1, (5200- 20200 रु.) ग्रेड वेतन 2800 रु. में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् छह वर्ष सेवा की है; या (iii) जिन्होंने वेतन बैंड-1, (5200-20200 रु.) ग्रेड वेतन 2400 रु. में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दस वर्ष सेवा की है; और (ख) जिनके पास सुरक्षा इंतजाम आयोजित करने, सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं से संबंधित सूचना और आसूचना एकत्रित करने में दो वर्ष का अनुभव है । **II. सशस्त्र बल कार्मिक** **प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियुक्ति :** जूनियर कमीशंड आफिसर या उसके समतुल्य के रैंक सशस्त्र बल कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त व्यक्तियों के

(7)

लिए अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं । यदि ऐसे व्यक्तियों का चयन कर लिया जाता है तो उन्हें उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है । तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन के निबंधनों पर बने रहने दिया जा सकता है । यदि पद पर वास्तविक चयन किए जाने से पूर्व ऐसे पात्र अधिकारी सेवानिवृत्त हो गए हैं या रिजर्व में स्थानांतरित हो गए हैं, तो उनकी नियुक्ति पुनर्नियोजन आधार पर होगी (सिविल पदों के प्रतिनिर्देश से अधिवार्षिता की आयु पुनर्नियोजन तक होगी) ।

टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए 1 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिसे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी सिवाय वहां के जहां एक ग्रेड से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान को एक समान ग्रेड वेतन/वेतनमान में विलय किया गया है और जहां यह फायदा केवल उस पद (उन पदों) के लिए विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन/वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुनर्नियोजित सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए पुष्टि पर विचार करने के संबंध में) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— 1. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष 2. अपर सचिव (एएजीएस और आरआर), संघ लोक सेवा आयोग —सदस्य 3. संयुक्त सचिव (प्रशा.), संघ लोक सेवा आयोग —सदस्य	आमेलन आधार पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति करते समय और पुनर्नियोजन करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।"

[फा. सं. 39021/07/2010-स्था. (ख)]

यू. एस. चट्टोपाध्याय, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम सा.का.नि. 32, तारीख 21 फरवरी, 2007 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 17th January, 2013

G.S.R. 26.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Union Public Service Commission (Security Assistant) Group 'C' post Recruitment Rules, 2007, namely :—

1. (1) These rules may be called the Union Public Service Commission, (Security Assistant) Group 'B' post Recruitment (Amendment) Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Union Public Service Commission (Security Assistant) Group 'C' post Recruitment Rules, 2007 hereinafter referred to as the said rules, for rules 2, the following rule shall be substituted, namely:—

"2. Number of posts, classification and Pay Band and Grade Pay or Pay Scale.—The number of posts, its classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules".

3. in the said rules, in rule 3, for the word, bracket and figures "columns (5) to (14)", the word and figures "columns 5 to 13" shall be substituted ;

4. In the said rules, for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely,—

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Security Assistant	1* (2013) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, (Group 'B'), Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-2, Rs. 9300—34800 and Grade Pay of Rs. 4200	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation, grades from which promotion or deputation to be made
(10)	(11)
Deputation/absorption For Armed Forces Personnel : Deputation/Re-employment	**I. Deputation/absorption** Central Government officers working in Security-cum-Intelligence Agencies including Intelligence Bureau/Research and Analysis Wing, Central Bureau of Investigation, Border Security Force, Central Reserve Police Force, Indo Tibetan Border Police or Central Industrial Security Force of the Government of India: (a) (i) holding analogous posts on regular basis or equivalent; or (ii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Pay Band-1 (Rs. 5200-20200) with Grade Pay of Rs. 2800; or (iii) with ten years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay Band-1 (Rs. 5200-20200) with Grade Pay of Rs. 2400; and (b) possessing two years experience in organizing security arrangements, gathering information and intelligence relating to various aspects of security.